UPMT010047142026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2052/2026
हाकिम सिंह प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 372/2026, धारा 191(2),191(3),109(1), 115(2),352,351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना हाईवे, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **हाकिम सिंह** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी पक्ष के निजी विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा श्रीमती क्रांति देवी पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसको रंजिशन इस केस में झूठा फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व में न खारिज हुआ है, न माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और दिनांक 21.05.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है, अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

4– प्रतिवाद में अभियोजन व वादी पक्ष की ओर से केस डायरी व थाना आख्या को संदर्भित करते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त आदि द्वारा जान से मारने की नीयत से अवैध असलाह से वादी मुकदमा ज्ञानेन्द्र सिंह आदि पर फायर करना, जिससे वादी मुकदमा ज्ञानेन्द्र सिंह से मिलने आए निर्भय सिंह के पेट में गोली लगने से उसका गम्भीर रूप से घायल हो जाना, अभियुक्तगण द्वारा गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देना आदि आक्षेपित है। केस डायरी में चुटैल निर्भय सिंह के उपचार से सम्बन्धित सिम्स हॉस्पीटल की समरी उपलब्ध है, जिसमें चुटैल निर्भय सिंह के आग्नेयास्त्र की चोट आना अंकित है, साथ ही इस आशय का तथ्य भी अंकित है कि ''.....Patient presented in ER with complaints of gunshot injury to left hypochondrium region. On local examination, there is wound associated with redness (? Entry wound). Present to left hypochondrium approx. 1 x 0.5 x 1 cm.....'' वादी मुकदमा ज्ञानेन्द्र सिंह के साथ ही चुटैल निर्भय सिंह, स्वतंत्र गवाहान गुलशन, विजेन्द्र, महेन्द्र सिंह ने विवेचक को दिए गए बयानों में अभियोजन कथानक को समर्थन प्रदान किया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

5– प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष के मुख्यतः कथन हैं कि अभियोजन कथानक असत्य एवं निराधार है। सही घटना यह है कि आवेदक/अभियुक्त घटना के समय अपने बच्चों के साथ अपने बसंत विहार स्थित घर पर था, न आवेदक/अभियुक्त ने कोई गालीगलौज की, न ही जान से मारने की नीयत से गोली चलाई और न ही उसकी गोली किसी के लगी। रंजिशन मनगढ़ंत तरीके से झूठी एफ०आई०आर० आवेदक/अभियुक्त के नाम दर्ज कर दी है। आवेदक/अभियुक्त व वादी मुकदमा आपस में चचेरे भाई हैं व आवेदक/अभियुक्त की पत्नी व वादी मुकदमा की पत्नी सगी बहनें हैं। मौके का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वादी मुकदमा के घर पर सी०सी०टी०वी० कैमरे लगे हुए हैं, जो हर समय चालू रहते हैं, उनके कोई वीडियो आवेदक/अभियुक्त को नहीं दिखाए और न ही पुलिस को दिखाए। प्रथम सूचना रिपोर्ट पाँच

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.06.15 13:32:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

घंटे देरी से दर्ज कराई गई है और इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में कोई भूमिका नहीं है।

6– उक्त प्रत्युत्तर का अभियोजन व वादी पक्ष की ओर से यह कह कर प्रतिवाद किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की इस अपराध में सक्रिय भूमिका रही है, इस प्रकरण की विवेचना अभी चल रही है और दौरान विवेचना समस्त तथ्य सामने आने शेष हैं।

7– स्वीकृत रूप से इस प्रकरण की विवेचना अभी चल रही है और दौरान विवेचना समस्त तथ्य सामने आने शेष हैं।

जहाँ तक अपराध में आवेदक/अभियुक्त **हाकिम सिंह** की भूमिका का प्रश्न है, यह तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है।

आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है और उसकी ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई समुचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई यथोचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, निरस्त किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई०मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–15.06.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी
निजी सहायक